संख्या: 38/2018/426/छप्पन-2018-12/2010

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग — लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2018

विषय: निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ के नाम भारतीय स्टेट बैंक, आई0बी0डी0, मुख्य शाखा, लखनऊ में खुले बचत खाता संख्या-10863754441 के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-921/ना0उ0नि0/लेखा/2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के सन्दर्भ में और शासनादेश संख्या-755/छप्पन-75/91 दिनांक 12 अक्टूबर, 1992, शासनादेश संख्या-893/छप्पन-2012-12/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2012 एवं शासनादेश संख्या-1451/छप्पन-2016-12/10 दिनांक 02 फरवरी, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम से खुले बचत बैंक खाता संख्या-10863754441 के माध्यम से भारत कोष में महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार, नई दिल्ली को किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान का शासकीय हित में उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 38/2018/426(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।